HARYANA VIDHAN SABHA

BILL NO. 2—H.L.A. OF 2024

THE INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) (HARYANA AMENDMENT) REPEAL BILL, 2024

A

BILL

to repeal the Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) (Haryana Amendment) Act, 1957.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) (Haryana Amendment) Repeal Act, 2024. Short title.

2. The Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) (Haryana Amendment) Act, 1957, is hereby repealed. Repeal of Punjab Act 9 of 1957.

3. The repeal by this Act shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; Savings.

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognised or derived by, in or from the Act hereby repealed;

nor shall the repeal of the Act revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, there is no need to retain the Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) (Punjab Amendment Act, 1957) in the State anymore.

Therefore, the Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) (Haryana Amendment) Repeal Act, 2024 relates to repealing of the Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) (Punjab Amendment Act, 1957)as the same is liable to be repealed. Hence, the Bill.

ANOOP DHANAK,
Minister of State, Labour, Haryana.

Chandigarh :
The 16th February, 2024.

R. K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 16th February, 2024, under proviso to rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या 2 एच०एल०ए०

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक, 2024

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1957 को निरसित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1957, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। 1957 के पंजाब अधिनियम 9 का निरसन।

3. इस अधिनियम द्वारा निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई है; व्यावृत्ति।

और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों, या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि यह क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में या से किसी भी रीति में अभिपुष्ट किया गया हो या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुआ हो;

न ही इस अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरूजीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि औद्योगिक विवाद (संशोधन और विविध प्रावधान (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1957 को अब राज्य में लागू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, उपरोक्त औद्योगिक विवाद (संशोधन और विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन अधिनियम, 2024, जोकि, औद्योगिक विवाद (संशोधन और विविध उपबन्ध) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1957 को निरसित करने से सम्बन्धित है, कोई सविधेयक द्वारा निरसित किया जाता है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

अनूप धानक,
श्रम राज्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 फरवरी, 2024.

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 16 फरवरी, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।